

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

-: अधिसूचना :-

राँची, दिनांक-12 फरवरी, 2024
सं०-05/मं०मं०स०/वि०स०सत्र-05/2024-231/ माननीय राज्यपाल,
झारखण्ड का दिनांक-12.02.2024 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण
के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी०पी० राधाकृष्णन, झारखण्ड का राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक-23 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा के सभा वेश्म्, राँची में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।”

राँची,
दिनांक- 12 फरवरी, 2024

ह०/-सी०पी० राधाकृष्णन
राज्यपाल, झारखण्ड

ह०/-अखलेश कुमार सिन्हा
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

-: आह्वान-पत्र :-

पत्र सं०-कार्य०का०सू०-07/2024- 2575/वि०स०।

प्रेषक,

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान सभा, राँची।
माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण, झारखण्ड सरकार, राँची।

राँची, दिनांक- 12.02.24 ई०।


महोदय/महोदया,

निदेशानुसार सूचित करना है कि झारखण्ड के माननीय राज्यपाल ने भारत का संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा को सभा-वेश्म, राँची में दिनांक-23 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधिवेशित होने के लिए आहूत किया है।

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश से दिनांक- 12 फरवरी, 2024 को जारी की गई एतद् विषयक अधिसूचना की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

अतः झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-3 के अधीन मैं आपसे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करता हूँ।

विश्वासभाजन,


12.2.2024
(सैयद जावेद हैदर)
प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

१
12-02-24